



आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
15.06.2023	<p style="text-align: center;"><u>वाद सं०-28/2023</u></p> <p>अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से अपीलकर्ता श्रीमती पदमावती मंडल, पति-श्री अजीत मंडल एवं अन्य, ग्राम-बेनागड़िया, पंचायत-पांजनियाँ, वार्ड-01, प्रखण्ड+थाना-नाला, जिला-जामताड़ा उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जामताड़ा उपस्थित। आज की सुनवाई Telephonic Conference के माध्यम से की गई।</p> <p>Telephonic Conference के माध्यम से हो रही सुनवाई में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जामताड़ा के साथ शिकायतकर्ता भी उपस्थित थी। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा कि आयोग में शिकायत दर्ज कराने और आयोग के पिछले आदेश के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने व्यक्तिगत तौर पर संबंधित गांव का भ्रमण किया और डीलर से पड़ताल की तथा ऑनलाइन तथ्यों की पूरी जाँच की तो पाया कि शिकायतकर्ता राशन लेने जा नहीं रही थी। इसलिए उन्हें कई महीने का बकाया राशन उपलब्ध नहीं हो पाया है। 14 माह का राशन उनको नहीं मिल पाया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी का कहना है कि शिकायतकर्ता को पिछले दो माह का राशन उपलब्ध करा दिया गया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी का कहना है कि उन्हें यह लगता है कि डीलर से आपसी विवाद के कारण शिकायतकर्ता अनाज नहीं ले रही होगी। ऐसे में आयोग ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को यह निर्देश दिया है कि वे वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत शिकायतकर्ता को किसी भी राशन दुकान से राशन प्राप्त करने की जानकारी दें। आयोग इस निर्देश के साथ वाद को निष्पादित किया जाता है।</p> <p style="text-align: center;">आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>(शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची।</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>(हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।</p> </div> </div>	